



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 33/XXXVI(3)/2013/61(1)/2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012’ पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मोटरयान करधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 08 वर्ष 2013]

(भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तरांचल मोटरयान करधान सुधार अधिनियम, 2003 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | <p>(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान करधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।</p> <p>(2) यह वर्ष 2012 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।</p> |
| धारा 2 का संशोधन | 2. | <p>उत्तरांचल मोटरयान करधान सुधार अधिनियम, 2003, जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में :-</p> <p>(1) खण्ड (क) निकाल दिया जायेगा।</p> <p>(2) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्—
“(ज) “तिमाही” से किसी कैलेन्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेन्डर मास की अवधि अभिप्रेत है;”</p> <p>(3) खण्ड (उ) में शब्द “कर” के स्थान पर शब्द “मोटर वाहन कर” रख दिये जायेंगे।</p> <p>(4) खण्ड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढा दिये जायेंगे; अर्थात् :-
(ठ-1) “विशेष कर” से धारा 4-क के अधीन अधिरोपित कर अभिप्रेत है;
(ठ-2) “उपकर” से धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित ग्रीन उपकर अभिप्रेत है;
(ठ-3) “स्कूल कैब” से किसी विद्यालय या कॉलेज के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके मान्यता प्राप्त अविभावक शिक्षण संघ के नियंत्रणाधीन ऐसा मोटर कैब/मैक्सी कैब अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विद्यार्थियों को विद्यालय/कॉलेज लाने-ले जाने के लिये होता है।</p> <p>(5) खण्ड (ढ) निकाल दिया जायेगा।</p> |

धारा 4 का
संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(1) उपधारा (1) में—

(क) शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द "जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक में शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द "जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :—

“(1-क) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब और 3000 किलोग्राम से अनधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।”

(3) उपधारा (2) व (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् —

“(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1-क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी मालवाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब से भिन्न), और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर

दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।”

(4) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारायें बढा दी जायेंगी; अर्थात्:-

“(2-क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1-क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर की ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जा सकेगा।

(2-ख) जहाँ सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहाँ उपधारा (1-क) या उपधारा (2) के अधीन कर का उदग्रहण उक्त उपधाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार उदग्रहित कर उस कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहित होता।”

(5) उपधारा (4) को निकाल दिया जायेगा।

(6) उपधारा (2-ख) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं बढा दी जायेगी; अर्थात्:-

“(3) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उत्तराखण्ड राज्य में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहनों का संचालन

तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उनके सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान न कर दिया गया हो।

(4) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य में "डीलर" के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों पर ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान देय होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के विविध उपाय लागू करने, शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिये, राज्य में सड़क पर चलने के लिये उपयुक्त वाहनों पर ग्रीन सेस के नाम से उपकर की ऐसी दर पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, अधिरोपित एवं एकत्र किया जायेगा।"

धारा 4-क का
बढाया जाना

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी;
अर्थात् :-

"4-क. कतिपय यानों
के सम्बन्ध में
विशेष कर का
उदग्रहण

इस अधिनियम द्वारा या तदधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिये या बारातों, पर्यटक समूहों या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों, जिन्हे किसी भी नाम से पुकारा जाय, को ले जाने के लिये जारी अस्थायी परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तराखण्ड में प्रचालन धारा 4 के अधीन कर के साथ-साथ तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर, तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

धारा 5 का
निकाला जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 5 निकाल दी जायेगी।

धारा 6 का
निकाला जाना

6. मूल अधिनियम की धारा 6 निकाल दी जायेगी।

- धारा 7 का
निकाला जाना
7. मूल अधिनियम की धारा 7 निकाल दी जायेगी।
- धारा 8 का
संशोधन
8. मूल अधिनियम की धारा 8 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-
- “(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार “उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि” ज्ञात नाम से एक निधि स्थापित करेगी तथा धारा 4 की उपधारा (1), (1-क), (2), (2-क) एवं (2-ख) के अधीन उदग्रहीत कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।”
- धारा 8-क का
बढ़ाया जाना
9. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात् :-
- “8-क. राज्य शहरी परिवहन निधि (1) शहरी क्षेत्र में परिवहन का ढांचागत विकास, सड़क सुरक्षा एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये राज्य सरकार राज्य स्तरीय शहरी परिवहन निधि स्थापित करेगी। धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन उदग्रहीत उपकर की धनराशि उक्त निधि से जमा की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।”
- धारा 9 में
संशोधन
10. मूल अधिनियम की धारा 9 में :-
- (1) उपधारा (1) में-
- (क) खण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात् :-
- “(दो) धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के

प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा;

(तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।”

(ख) खण्ड (चार) में—

(एक) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:—

“(क) धारा 4 की उपधारा (2-क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगा;”

(दो) उपखण्ड (ख) में शब्द और अंक “धारा 6 के अधीन संदेय अतिरिक्त कर” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 4क के अधीन देय विशेष कर” रख दिये जायेंगे—

(ग) खण्ड (चार) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (पाँच) बढा दिया जायेगा; अर्थात्:—

“(पाँच) (क) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन संदेय कर मोटरयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के समय 30 दिन के लिये अग्रिम में देय होगा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन संदेय कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवे दिन को या उसके पूर्व अग्रिम में देय होगा;

(ग) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन संदेय उपकर यथा स्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, यान के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय या यान के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय देय होगा।”

- (2) उपधारा (3) में शब्द "देय धनराशि के 25 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय" के स्थान पर शब्द "देय धनराशि से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का
संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 10 में -

(1) उपधारा (1) में-

(क) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

"(एक) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन उत्तराखण्ड में उसके उपयोग व ठहरने के लिये कर का भुगतान न कर दिया गया हो;"

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "धारा 4 के अधीन कर" रख दिये जायेंगे और शब्द "चतुर्थ अनुसूची के प्रस्तर-2 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (ग) का परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

(2) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(3) उपधारा (3) में शब्द "देय कर व अतिरिक्त कर के साथ इनकी राशि के दो गुना के बराबर" के स्थान पर शब्द "देय कर के पाँच गुने के बराबर" रख दिये जायेंगे;

(4) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी;

(5) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:-

"(5) जहाँ किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय, उसके लिये ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, देय होगा।"

धारा 11 का
संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

“11. प्रथम बार के
दायित्व पर देय
धनराशि

इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर मास के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में कर देय है, के लिये समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवाँ भाग होगा।”

धारा 12 का
संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 12 में :—

(1) पार्श्वकिंत शीर्षक में शब्द और अंक “धारा 4, 5 व 6 में समान रूप से प्रभावी” निकाल दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में—

(क) शब्द “तिमाही कर की दर के एक तिहाई” के स्थान पर शब्द “यथा स्थिति, तिमाही कर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें भाग” रख दिये जायेंगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

“परन्तु अग्रतर यह कि जहाँ धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन किसी मोटरयान के लिये एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है वहाँ ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिये 0.008 भाग के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी।”

(3) उपधारा (2) में—

(क) शब्द “अतिरिक्त कर” को निकाल दिया जायेगा;

(ख) परन्तुक में शब्द और अंक “कर का देनदार होगा मानों उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा”, के स्थान पर शब्द “कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे

और कर के पाँच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा" रख दिये जायेंगे;

- (4) उपधारा (3) में शब्द "परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान" के स्थान पर शब्द "मोटरयान" रख दिये जायेंगे और शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसी कर की वापसी का हकदार होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसी कर की वापसी का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे;
- (5) उपधारा (5) में शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे;
- (6) उपधारा (7) को निकाल दिया जायेगा।
- (7) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-

"(9) किसी मोटर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा वाहन को किसी अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की दशा में उपयोग न होने पर राज्य सरकार द्वारा यथा विहित सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के साथ नियत समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी भी पूर्ण कैलेण्डर माह की अवधि के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन का अप्रयोग स्वीकार किया जा सकेगा तथा सम्यक जाँचोपरान्त निम्नलिखित सीमा तक कर का परिहार किया जा सकेगा :-

(एक) रू0 5000.00 तक	परिवहन कर अधिकारी-1
(दो) रू0 5000.00 से 15000.00 तक	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(तीन) रू0 15000.00 से 30,000.00 तक	सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(चार) रू0 30000.00 से अधिक राशि हेतु	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप परिवहन आयुक्त (कर) :

परन्तु यह कि राज्य कर्मियों की हड़ताल या ऐसे अन्य अपरिहार्य कारणों, जिसमें वाहन स्वामियों की कोई त्रुटि न हो, के कारण वाहन स्वामी द्वारा नियत समयावधि के भीतर कर जमा न

करने पर उसके लिए देय शास्ति का परिहार करने के लिये परिवहन आयुक्त सक्षम होंगे।"

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| धारा 13 का संशोधन | 14. | मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) व (2) में आये शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे। |
| धारा 14 का संशोधन | 15. | मूल अधिनियम की धारा 14 में आये शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे। |
| धारा 15 का संशोधन | 16. | <p>मूल अधिनियम की धारा 15 में —</p> <p>(क) पार्श्वकित शीर्षक में शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" दिया जायेगा;</p> <p>(ख) उपधारा (1) में शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" रख दिया जायेगा;</p> <p>(ग) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा।</p> |
| धारा 17 का संशोधन | 17. | <p>मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जायेगी; अर्थात् :—</p> <p>"(3) यथास्थिति प्रत्येक मंजिली गाडी का संचालक प्रत्येक वाहन के संचालन की लाग बुक रखेगा, जिसमें ऐसी सूचनायें, जैसी कि विहित की जाय, रखेगा। वाहन स्वामी या चालक अथवा संचालक लाग बुक कराधान अधिकारी को मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।"</p> |
| धारा 18 का संशोधन | 18. | मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12 के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4 एवं धारा 12 के अधीन" रख दिये जायेंगे। |
| धारा 19 का संशोधन | 19. | मूल अधिनियम की धारा 19 में आये शब्द "पॉच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" और शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। |

- धारा 20 का संशोधन 20. मूल अधिनियम की धारा 20 में :-
- (1) उपधारा (1) व (2) में आये शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे।
 - (2) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढा दी जायेगी; अर्थात् -
- "(3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिये यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मार्ग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।"
- धारा 22 का संशोधन 21. मूल अधिनियम की धारा 22 में -
- (1) शब्द "परिवहन यान" जहाँ कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द "मोटरयान" रख दिये जायेंगे।
 - (2) शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे।
- धारा 28 का संशोधन 22. मूल अधिनियम की धारा 28 में :-
- (1) शब्द "अतिरिक्त कर" को निकाल दिया जायेगा।
 - (2) उपधारा (2) में खण्ड (ज) को निकाल दिया जायेगा;
- सामान्य 23. मूल अधिनियम में प्रयुक्त शब्द "उत्तरांचल" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" रख दिया जायेगा।
- अनुसूचियों का निकाला जाना 24. मूल अधिनियम की सभी अनुसूचियाँ निकाल दी जायेंगी।
- निरसन और अपवाद 25. (1) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 12 वर्ष 2012) एतद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।